FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (SDO) [illegible] मुकाम

हुकमाराम बनाम तारो वगैरा

किस्म मुकदमा रा० आवेदन नं. 126/2020 सन् 2020

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23/6/2020	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री धनमाराम चौधरी ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 23/07/2020 को पेश हो। विवेक व्यास 23.6.2020 सहायक कलक्टर (SDO) [illegible]	
23/07/2020	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थीगण बावजूद तामील अनुपस्थित। जिनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 25/08/2020 को पेश हो। विवेक व्यास //	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.09.11 17:02:31 IST
Reason: SelfAttested

कमांक / रीडर

25/08/2020

प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगण अनु०।

प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बतलाया की प्रार्थी व विपक्षीगणों के खातेदारी खेत सेना लेते आये हुए है। प्रार्थी व विपक्षीगणों के खेतो के मध्य जो पुरानी मांडे व ढोले आये हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गये है इससे प्रार्थी को अपने खेत के सेनो का सही ज्ञान नहीं हो पा रहा है जिससे खेत के सेनो को लेकर प्रार्थी व विपक्षीगणों के मध्य हमेशा तनाजा बना रहता है इसलिए प्रार्थी को नेपमबंदी करवाना आवश्यक है इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर नेपमबंदी आदेश किया जावे।

अत: प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बाप को कमिश्नर व सम्बन्धित भू०अभि० लेख निरीक्षक को सहायक कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश किया जाता है कि आप स्वयं या सहायक कमिश्नर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेपमबंदी मौके पर कमिश्नर शुल्क जमा-करवाकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

[signature] 25.8.2020

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.09.11 17:02:31 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

दिनांकः–

क्रमांक / रीडर / आवेदन / 2020 / 561

प्रार्थी बनाम विप्रार्थीगण

1.हुकमाराम पुत्र जगमालराम
जाति जाट, नि. माडपुरा बरवाला
तहसील बायतु (बाड़मेर)

2. तारों पत्नी सुखाराम वगैरा 19
जाति जाट नि. अकदड़ा
तहसील–बायतु(बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 126/2020

आदेश

खसरा नं. 529 रकबा 0.1294 हेक्टयर, खसरा नम्बर 530 रकबा 0.2427 हेक्टयर, खसरा नम्बर 531 रकबा 15.4438 हेक्टयर मौजा निम्बाणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र माडपुरा बरवाला भू अभिलेख निरीक्षक बायतु तहसील बायतु जिला बाड़मेर की भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वे स्वयं या अपने अधिनस्थ भू.अ.निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की नेखमबंदी मौके पर शुल्क जमा कराकर करें। तथा अपेक्षित होने पर थाना प्रभारी बायतु से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी की कार्यवाही दोनो पक्षो की उपस्थिति में सीमाज्ञान करने के बाद करे।

विवेक व्यास 25.8.2020
(विवेक व्यास)
उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक / रीडर / आवेदन / 2020 / 562 to 566 दिनांकः– 31/08/2020

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

6. तहसीलदार बायतु
7. पटवारी हल्का माडपुरा बरवाला को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
8. प्रार्थी श्री हुकमाराम पुत्र जगमालराम
9. विप्रार्थी श्री तारों पत्नी सुखाराम वगैरा
10. पुलिस थानाधिकारी बायतु

विवेक व्यास
उपखण्ड अधिकारी बायतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.09.11 17:02:31 IST
Reason: SelfAttested